चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान सरकार

एवं

अपना घर आश्रम

अपना घर संस्था द्वारा दस्तावेज रहित लावारिस, बेसहारा बीमार लोगों को राजकीय अस्पतालों में नि:शुल्क ईलाज प्रदान करने हेतु एमओयू।

Scanned with OKEN Scanner

एम.ओ.यू.

प्रथम पक्षकार मॉ माधुरी बृज वारिस सेवा सदन अपना घर संस्था (अपना घर आश्रम) एवं द्वितीय पक्षकार चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं तृतीय पक्षकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मध्य आज दिनांक **15.12.2025** को समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) किया जाता है कि –

1. प्रथम पक्षकार मॉ माधुरी बृज वारिस सेवा सदन अपना घर संस्था (अपना घर आश्रम) का परिचयः– (रजिस्टर्ड संख्या 49/भरत/रजि./2000–2001)

अपना घर आश्रम रेल्वे स्टेशन, बस स्टैण्ड, धार्मिक व अन्य सार्वजनिक स्थानों पर असहाय अवस्था में पड़े हुये असहाय, विमन्दित, लावारिस/अज्ञात रोगियों की सेवा सुश्रुषा में निरन्तर कार्यरत है। अपना घर आश्रम ऐसे लोगों को प्रभुजी (भगवान का रूप) कहते हैं।

आश्रम इस प्रकार के प्रभुजनों को जो रेल्वे स्टेशन, बस स्टैण्ड, धार्मिक व अन्य सार्वजनिक स्थानों पर असहाय अवस्था में पड़े होते हैं, उनको अपना घर आश्रम एस्कोर्ट कर अपने निकटवर्ती आश्रम में भर्ती करवाता है जहां इनको बिना किसी शुल्क के भोजन, चिकित्सा सुविधा, घर जैसी सुविधायें उपलब्ध कराई जाती हैं। आश्रम के पास समर्पित एम्बुलेंस, पैरामेडिक्स और विशेष बचाव दल है जो पुलिस और अन्य सरकारी संगठनों के साथ मिलकर कार्य करते हैं।

प्रथम पक्षकार मॉ माधुरी बृज वारिस सेवा सदन अपना घर संस्था (अपना घर आश्रम) के दायित्व :–

1. अपना घर आश्रम को यदि चिकित्सा शिक्षा विभाग के किसी चिकित्सालय द्वारा कोई असहाय, विमन्दित, लावारिस/अज्ञात रोगी के बारे में सूचना दी जाती है तो अपना घर आश्रम उसे एस्कोर्ट कर भर्ती करने, उसकी सेवा सुश्रुषा अथवा मृत्यु की स्थिति में दाह संस्कार जैसे कार्यो में अपना सक्रिय सहयोग/योगदान करेगा।
2. अपना घर के विभिन्न आश्रमों होने वाली मृत्यु पश्चात अपना घर आश्रम द्वारा मृत व्यक्ति की देहदान निकटवर्ती चिकित्सा महाविद्यालय में देने हेतु प्रेरित किया जायेगा।
3. यदि चिकित्सा शिक्षा विभाग राजस्थान स्थित किसी भी अपना घर आश्रम में असहाय, विमन्दित, लावारिस/अज्ञात रोगियों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिये जब भी कैम्प लगाता है, कैम्प की समस्त व्यवस्थायें अपना घर आश्रम द्वारा की जायेगी।
4. अपना घर आश्रम चिकित्सा शिक्षा से सम्बद्व चिकित्सालयों में विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों के संचालन हेतु अपना सक्रिय योगदान बढायेगा।
5. अपना घर आश्रम का यह दायित्व होगा कि वह चिकित्सा शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा प्रदान की जा रही निःशुल्क ईलाज की सुविधाओं का दुरूपयोग नहीं करेगा।
6. संस्था द्वारा यदि सुविधा का दुरूपयोग किया गया तो मरीज के ईलाज के दौरान हुये समस्त व्यय को संस्था जमा कराने हेतु पाबंद रहेगी।
7. किसी प्रकार का विवाद होने पर चिकित्सा शिक्षा विभाग का निर्णय अंतिम होगा।
8. उक्त एमओयू की अवधि तीन वर्ष की होगी। जिसका नवीनीकरण तीनों पक्षकारों (चिकित्सा शिक्षा विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अधिकृत स्वयं सेवी संस्था) की सहमति उपरांत किया जायेगा।

2. द्वितीय पक्षकार चिकित्सा शिक्षा विभाग के दायित्व :–

चिकित्सा शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 35 मेडिकल कॉलेज संचालित/कार्यरत हैं। मेडिकल कॉलेज से सम्बद्व 78 चिकित्सालयों में लगभग 23 लाख से अधिक मरीज आईपीडी में एवं 3.83 करोड़ से अधिक मरीज ओपीडी में ईलाज कराने प्रतिवर्ष आते हैं। चिकित्सा शिक्षा विभाग में 18 नये मेडिकल कॉलेज एवं अन्य आधारभूत संरचना से संबंधित कार्य प्रगतिरत हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का

15/12/2025
(नरेश कुमार गोयल)
आयुक्त चिकित्सा शिक्षा

15/12/2025

Scanned with OKEN Scanner

दायित्व इस कार्य हेतु रजिस्टर्ड धर्मार्थ ट्रस्ट/एनजीओ की पहचान करने एवं अधिकृत करने तक सीमित रहेगा।

1. अपना घर आश्रम की किसी भी शाखा द्वारा कोई असहाय, विमन्दित, लावारिस/अज्ञात रोगी जिनके पास प्रायः कोई पहचान दस्तावेज नहीं होता और न ही अपना नाम इत्यादि बता पाते हैं, ऐसी स्थिति में जब इनको एस्कोर्ट कर ईलाज हेतु चिकित्सा शिक्षा विभाग के किसी भी चिकित्सालय में लाया जाता है, तो इनका प्राथमिकता से ईलाज, दवाईयां, इम्प्लांट, ऑपरेशन, पैथोलोजिकल टेस्ट व अन्य सभी आवश्यक चिकित्सा सुविधायें निःशुल्क मुहैया करवाया जायेगा। अधिकृत धर्मार्थ ट्रस्ट/एनजीओं द्वारा अपने लेटर हैड पर यह प्रमाण पत्र जारी करना ही पर्याप्त होगा कि अस्पताल में लाया गया रोगी **"रोगी असहाय/विमन्दित/लावारिस/अज्ञात है"**।
2. उक्त होने वाले समस्त प्रकार के व्यय आरएमआरएस से वहन किये जायेंगे।
3. चिकित्सा शिक्षा विभाग के सम्बद्ध चिकित्सालय अपने निकटवर्ती क्षेत्र के रजिस्टर्ड धर्मार्थ ट्रस्ट/एनजीओ द्वारा संचालित विभिन्न प्रकार के आश्रमों (वृद्धाश्रम, विमंदित कुष्ठ आश्रम, बाल आश्रम इत्यादि) में पाक्षिक मेडिकल परीक्षण कैम्प आवश्यक रूप से लगाऐ जायेंगे तथा कैम्प में वांछित जांचे एवं दवाईयां निःशुल्क प्रदान की जायेगी।
4. चिकित्सा शिक्षा विभाग के सम्बद्ध चिकित्सालय असहाय, विमन्दित, लावारिस/अज्ञात रोगियों की सहायता हेतु एक नोडल ऑफिसर नामित करेंगे तथा आवश्यकता होने पर दो अनुबंध आधारित स्टाफ को रोगियों का सहयोग करने हेतु लगायेंगे।
5. अपना घर आश्रम द्वारा यदि सुविधा का दुरूपयोग किया गया तो मरीज के ईलाज के दौरान हुये समस्त व्यय को संस्था से जमा करवाते हुये, समझौता ज्ञापन (एमओयू) को निरस्त किया जा सकेगा।
6. किसी प्रकार का विवाद होने पर चिकित्सा शिक्षा विभाग का निर्णय अंतिम होगा।
7. उक्त एमओयू की अवधि तीन वर्ष की होगी। जिसका नवीनीकरण तीनों पक्षकारों (चिकित्सा शिक्षा विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अधिकृत स्वयं सेवी संस्था) की सहमति उपरांत किया जायेगा।

3. तृतीय पक्षकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के दायित्व :–

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का दायित्व इस कार्य हेतु रजिस्टर्ड धर्मार्थ ट्रस्ट/एनजीओ की पहचान करने एवं अधिकृत करने तक सीमित रहेगा। चिकित्सा शिक्षा विभाग के सम्बद्ध चिकित्सालय द्वारा निकटवर्ती क्षेत्र के रजिस्टर्ड धर्मार्थ ट्रस्ट/एनजीओ द्वारा संचालित विभिन्न प्रकार के आश्रमों (वृद्धाश्रम, विमंदित कुष्ठ आश्रम, बाल आश्रम इत्यादि) में पाक्षिक मेडिकल परीक्षण कैम्प में आवश्यक सहयोग प्रदान किया जायेगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग उक्त कार्यों हेतु एक नोडल ऑफिसर भी नामित करेगा।

(नरेश कुमार गोयल), आई.ए.एस. आयुक्त चिकित्सा शिक्षा विभाग जयपुर दिनांक 15.12.2025	(आशीष मोदी), आई.ए.एस. आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर दिनांक 15.12.2025	(डॉ बी.एम. भारद्वाज) अधिकृत प्रतिनिधि मॉ माधुरी बृज वारिस सेवा सदन "अपना घर आश्रम" संस्था भरतपुर दिनांक 15.12.2025

Scanned with OKEN Scanner